**आदेश XXX VIII नियम 9 के अधीन प्रतिभूति**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

के मामले में.............

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

वाद की रकम.......रुपये

यतः ऊपर विनिर्दिष्ट वाद में, उपर्युक्त वादी ने कथित न्यायालय को यह आवेदन किया है कि कथित प्रतिवादी को किसी भी डिक्री को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति देने के लिए बुलाया जा सके जिसे कथित वाद में उसके विरुद्ध पारित किया जा सकेगा, या यह कि वैसा करने में उसकी असफलता पर, कथित प्रतिवादी की कतिपय सम्पत्ति की कुर्की की जा सकेगी। और यतः कथित प्रतिभूति देने या यह प्रदर्शित करने में................... कथित प्रतिवादियों की असफलता पर इसको क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। कथित प्रतिवादी.. .................... की उपर्युक्त सम्पत्ति की कथित न्यायालय के आदेश द्वारा कुर्की की जा चुकी है।

अतएव, मैं................... का निवासी................... स्वेच्छया प्रतिभूति हो गया है और मैं एतद्द्वारा न्यायालय के न्यायाधीश तथा कार्यालय में उसके उत्तरवर्तियों की हैसियत से...................को स्वयं अपने वारिसों, एवम् निष्पादकों को आबद्ध करता हूँ कि कथित प्रतिवादी इसमें नीचे विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति को, जब कभी अपेक्षा की जाय, कथित न्यायालय में पेश करेगा और उसके व्ययन पर रखेगा, अर्थात् (यहाँ सम्पत्ति का विवरण दे या संलग्न की गयी एक अनुसूची को निर्देश दे) या उसके ही मूल्य को, उसके ऐसे भाग को जो कथित डिक्री को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और जब अपेक्षा की जाय, कुर्की के खर्च का भुगतान करूंगा और उसके वैसा करने के एक व्यतिक्रम में, मैं स्वयं को, अपने वारिसों एवम् निष्पादकों को कथित न्यायालय के न्यायाधीश या इसके आदेश पर कार्यालय में उसके ऊपरवर्तियों के रूप में...................को संदाय करने के लिए आबद्ध करता हूं, कि रुपये के विस्तार की ऐसी रकम (यहाँ कुर्की के खर्चे एवम् लागत के साथ) वाद की रकम को आच्छादित करने के लिए एक पर्याप्त रकम प्रविष्ट करे। जिसे कथित न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन करे

…………..में तारीख…………..के मेरे जन साक्षी

**(हस्ताक्षर किया)**

**साक्षीगण**

**1. ………………**

**2. ……………….**